भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1214
(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तमिलनाडु के ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु निधि

1214. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य को आबंटित की गई धनराशि हाल में आबंटित धनराशि की तुलना में अधिक है; और

(ख) यदि हां , तो वर्ष 2021-24 तक वार्षिक रूप से निधियों के आबंटन का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): जी हां।

(ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) , प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) , राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) कार्यान्वित कर रहा है।

मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती हैं जो बाद में जिलों को निधियों जारी करते हैं। अत: यह मंत्रालय जिलों को निधियां आवंटित/रिलीज नहीं करता है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक तमिलनाडु राज्य के लिए उपर्युक्त योजनाओं के तहत निधियों का कुल आवंटन निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

राज्य	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
तमिलनाडु	**12241.21**	**13343.61**	**14131.78**

*****